FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

चीकाराम बनाम तेजाराम

किस मुकदमा राजस्व वाद नं. 09 / सन 2015

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 188 RT Act के तहत पेश किया है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 10/3/15 को पेश हो। SDO	
15 [illegible] 15 को पेश हो। [illegible]	65 10/2/15
5 [illegible] 23-05-15 को किया गया।	[illegible]
45 [illegible]	[illegible] L.T.I. परिवादकर्ता

गई रिपोर्ट अनुसार खसरा नं० 144, 75, 120, 121, 143,
145, 119, की भूमि का 10 बीघा अंकित खाता की
खतौनी शुदा है, मात्र खसरा नं० 232 रकबा 21=10 बीघा
में 1/3 हिस्सा शिवधी का नाम अंकित है। उक्त शिवधी राम
का अंकन निर्वाचित आराजी की जगह में वादिगण सं०
कपाति, 1 व 2 के दादा तथा 3 के पिता होना बखूबी साबित
फलस्वरूप खसरा नं० 232 रकबा 21=10 बीघा बाकायदा
भूमि में सेटलमेंट रेकर्ड में शिवधी का नाम दर्ज होना
तेजा के नामदर्ज 1/3 हिस्से की भूमि पैतृक बपौती होना
बखूबी साबित होना स्पष्ट है, जो प्रमाणित है।

अतः वादिगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता
तथा प्रति 1 स्वयं तेजाराम उपस्थित आकर, यह पैतृक व
पुश्तैनी भूमि का नहीं बेचने हेतु स्वीकार करते हैं। इस
अपना अंशदान शिवराज की अंकित किया है, प्रति० सं० 1 की
सहियान की सोमाराम जाटिया अधिवक्ता प्रति० जगदीश
लिहाजा जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पैतृक व पुश्तैनी भूमि
खसरा नं० 232 रकबा 21=10 बीघा का 1/3 हिस्सा
में वादिगण संख्या 1 से 3 के जोखातल हिस्से पर
रहन अन्य हस्तान्तरण आदि कार्य से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा
रोका जाता प्रति० सं० 1 का उचित समझते हैं। प्रतिवादी का दावा
तामिली 1 सूचना अनुपस्थित रहने से खारिज एकपक्षीय कार्यवाही
की जाती है।

पत्रावली व्याख्यानपूर्वक अवलोकन किया
राजस्व में उपस्थित पक्षकार प्रति० सं० 1 का सुना गया। वकील
वादीगण की बहस सुनी गई। वादीगण का आंशिक रकबा वादी
स्वीकार किया जाता है। उक्त आंशिक रकबा
प्रति० सं० 1 उस क्रमार की साबित की जाती है कि सरहद
बावीवाल ग्राम में वादी के जमाण में स्थित
खसरा नं० 232 रकबा 21=10 बीघा राजस्व में पैतृक व पुश्तैनी
भूमि में वादीगण के जोखातल हिस्से की भूमि पर
अन्य हस्तान्तरण आदि कार्य
से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्त पत्रावली
कायम जाकर पत्रावली बंद किया जावे। पत्रावली
शुद्धा होकर नम्बर से कायम हो। बाद तकमील जाकर
अभिलेख दफ्तर। अलग जाकर जमा हो।

SDO